ए.

अर्धेन्दु कुमार दास बनाम

ओडिशा और ओआरएस का राज्य। (2022 की सिविल अपील संख्या 4515) 3 जून, 2022

[बी. आर. गवई और हिमा कोहली, जे. जे.]

पुरातात्विक स्थलः प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958।2, 20 सी, 20 डी-जनता के लिए आवश्यक सार्वजनिक कार्य या परियोजना-श्री जगन्नाथ मंदिर परिसर के निषिद्ध क्षेत्र के भीतर प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 द्वारा किए गए निर्माण को इस आधार पर चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष दायर जनहित याचिका कि यह 1958 के अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है-तत्काल अपील में उनकी शिकायत यह थी कि उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थीगणओं को निर्माण के साथ आगे बढ़ने से रोकने वाला अंतरिम आदेश नहीं दिया-आयोजितः1958 के अधिनियम के सभी प्रावधानों को सामंजस्यपूर्ण तरीके से पढ़ा जाना चाहिए-जब धाराओं की उप-धारा (4) हो।20 अधिनियम के ए को एस के खंड (डीसी) के अनुरूप पढ़ा जाता है।2 और एस के प्रावधान।20 सी और एस।20 अधिनियम के डी, यह निवेदन कि निषिद्ध क्षेत्र या विनियमित क्षेत्र में कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकता है, टिकाऊ नहीं होगा-सक्षम प्राधिकारी ने एस के तहत आवश्यक प्रक्रिया का पालन किया है। 20 अधिनियम के डी और राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने इस कार्य के लिए अपनी अनुमति दे दी है, जिसे शुरू किया गया है-विधायिका ने जानबूझकर "निर्माण" की परिभाषा से चार श्रेणियों को बाहर कर दिया है-इसके पीछे का उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि मौजूदा भवनों की मरम्मत और नवीनीकरण और जल निकासी, शौचालय, जल आपूर्ति और बिजली वितरण जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक निर्माण को वैधानिक अनुमतियों की आवश्यकता की कठोरता से बाहर रखा जाना चाहिए-यह तर्क कि उक्त प्रावधान केवल प्रतिबंधित क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को अपने मौजूदा ढांचे का पुनर्निर्माण, मरम्मत और नवीनीकरण करने में सक्षम बनाने के लिए है और उक्त प्रावधान जनता के लिए सुविधाएं बनाने के लिए राज्य की सहायता के लिए नहीं आ सकता है, खारिज कर दिया जाता है-यदि कोई व्यक्ति निषिद्ध क्षेत्र में शौचालय का निर्माण कर सकता है।

जी.

एच.

358

359

अर्धेन्दु कुमार दास बनाम ओडिशा और ओआरएस का राज्य।

प्रत्यर्थीमप्रत्यर्थींप्रत्यर्थीदप्रत्यर्थिींप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी-
प्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीजप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीयप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीदप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीवप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीगप्रत्यर्थीईप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीगप्रत्यर्थीतप्रत्यर्थिींप्रत्यर्थीवप्रत्यर्थिींप्रत्यर्थीधप्रत्यर्थिींप्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीँप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीपप्रत्यर्थी़प्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीतप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीहप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीसप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीमप्रत्यर्थीृप्रत्यर्थीणप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीलप्रत्यर्थिींप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीपप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीधप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीमप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीमप्रत्यर्थीलप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीमप्रत्यर्थीप्रत्यर्थींप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीइप्रत्यर्थीसप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीनप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीलप्रत्यर्थीयप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीदप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीवप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीजप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीनप्रत्यर्थिींप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीदप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीशप्रत्यर्थीप्रत्यर्थींप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीअप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीुप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीूप्रत्यर्थीपप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीहप्रत्यर्थीप्रत्यर्थींप्रत्यर्थी-प्रत्यर्थीवप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीवप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीपप्रत्यर्थीकप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीसप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीवप्रत्यर्थीजप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थिींप्रत्यर्थीकप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीहप्रत्यर्थिींप्रत्यर्थीतप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीमप्रत्यर्थीप्रत्यर्थींप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीआप्रत्यर्थीवप्रत्यर्थीशप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीकप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीहप्रत्यर्थीप्रत्यर्थींप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीऔप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीऐप्रत्यर्थीसप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीलप्रत्यर्थिींप्रत्यर्थीएप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीूप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीमप्रत्यर्थीप्रत्यर्थींप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीईप्रत्यर्थी

प्रत्यर्थीनप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीषप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीधप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीहप्रत्यर्थीिप्रत्यर्थींप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीहप्रत्यर्थींप्रत्यर्थी,प्रत्यर्थी प्रत्यर्थीजप्रत्यर्थींप्रत्यर्थीसप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थी अपीलार्थीगणप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीदप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीवप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीतप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीदप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीजप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीचप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थीहप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीएप्रत्यर्थी-
प्रत्यर्थीउप्रत्यर्थीचप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीचप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीनप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थीलप्रत्यर्थीयप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीनप्रत्यर्थींप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीमप्रत्यर्थीहप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थीधप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीवप्रत्यर्थीकप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीतप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीबप्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीभप्रत्यर्थीिप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीदप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीजप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीएप्रत्यर्थीएप्रत्यर्थीसप्रत्यर्थीआप्रत्यर्थीईप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीऔप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थीजप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीयप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीसप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीदप्रत्यर्थीिप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीिप्रत्यर्थींप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीहप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीसप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीनप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीशप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीचप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीतप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीलप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीएप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीमप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीलप्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थीमप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीप्रत्यर्थींप्रत्यर्थीगप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीिप्रत्यर्थीईप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीभप्रत्यर्थीिप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीपप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थीतप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थीतप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीवप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीकप्रत्य
र्थी प्रत्यर्थीअप्रत्यर्थीवप्रत्यर्थीशप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीषप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीछप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीटप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीनप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीजप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थीएप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीषप्रत्यर्थीतप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीगप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीसप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीतप्रत्य
र्थी प्रत्यर्थीनप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीहप्रत्यर्थीिप्रत्यर्थी-प्रत्यर्थीजप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीहप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीतप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीमप्रत्यर्थींप्रत्यर्थींप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीहप्रत्यर्थीिप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थींप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थींप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीबप्रत्यर्थीजप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थीयप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीउप्रत्यर्थीचप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीचप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीनप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थीलप्रत्यर्थीयप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीमप्रत्यर्थींप्रत्यर्थींप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीदप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीजप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीहप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीतप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थीचप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थी,प्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीबप्रत्यर्थीडप्रत्यर्थी़प्रत्यर्थींप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीपप्रत्यर्थींप्रत्यर्थीमप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थींप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीपप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीजप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीहप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीतप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थींप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीलप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीएप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीहप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीकप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीहप्रत्यर्थींप्रत्यर्थी-प्रत्यर्थीतप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीचप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीछप्रत्यर्थी

प्रत्यर्थीयप्रत्यथीर्प्रत्यर्थीचप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीकप्रत्यथीर्प्रत्यर्थीएप्रत्यर्थींप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीएप्रत्यर्थीकप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीमप्रत्यर्थीूप्रत्यर्थीलप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीवप्रत्यथीर्प्रत्यर्थीनप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीनप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीयप्रत्यथीर्प्रत्यर्थीयप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीकप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीसप्रत्यर्थीमप्रत्यर्थीयप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यथीर्प्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीअप्रत्यर्थीतप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीकप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीमप्रत्यर्थीणप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीतप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीहप्रत्यर्थींप्रत्यर्थींप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीजप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीसप्रत्यर्थीकप्रत्यथीर्प्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीउप्रत्यर्थीपप्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थीगप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीअप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीथप्रत्यथीर्प्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीवप्रत्यथीर्प्रत्यर्थीसप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीतप्रत्यर्थीवप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीकप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीमप्रत्यर्थीुप्रत्यर्थीदप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीदप्रत्यथीर्ीप्रत्यर्थींप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीपप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीवप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीचप्रत्यथीर्प्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थींप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थींप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीलप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीएप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीयप्रत्यथीर्प्रत्यर्थी प्रत्यर्थीजप्रत्यथीर्प्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीसप्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीतप्रत्यथीर्प्रत्यर्थी प्रत्यर्थीहप्रत्यर्थींप्रत्यर्थी-
प्रत्यर्थीबप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीनप्रत्यथीर्प्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीसप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीसप्रत्यथीर्प्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थींप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीपप्रत्यथीर्प्रत्यर्थीईप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीगप्रत्यर्थीईप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीअप्रत्यर्थीपप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थीलप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थींप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीलप्रत्यथीर्प्रत्यर्थीगप्रत्यर्थीतप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थींप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीसप्रत्यथीर्प्रत्यर्थीथप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीखप्रत्यथीर्प्रत्यर्थीरप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीजप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीदप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीयप्रत्यथीर्प्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीजप्रत्यथीर्प्रत्यर्थीतप्रत्यथीर्प्रत्यर्थी प्रत्यर्थीहप्रत्यर्थींप्रत्यर्थी,प्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीजप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीसप्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीमप्रत्यथीर्प्रत्यर्थीतप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीरप्रत्यथीर्प्रत्यर्थी प्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीुप्रत्यर्थी।प्रत्यर्थीजनहित याचिका:तुच्छ याचिकाएं दायर करने की प्रथा-अस्वीकृत-तुच्छ याचिकाएं कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के अलावा और कुछ नहीं हैं-वे एक मूल्यवान न्यायिक समय का अतिक्रमण करती हैं जिसका उपयोग अन्यथा वास्तविक मुद्दों पर विचार करने के लिए किया जा सकता है-यह सही समय है कि इस तरह के तथाकथित जनहित याचिकाओं को शुरू में ही समाप्त कर दिया जाए ताकि व्यापक जनहित में विकासात्मक गतिविधियों को रोका न जा सके।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः**1.** प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम**, 1958** की धारा **2** के खंड **(**डी**.** सी**.)** में "निर्माण" की परिभाषा में विशेष रूप से शामिल नहीं हैः**(i)** किसी मौजूदा संरचना या भवन का पुनर्निर्माण**,** मरम्मत और नवीनीकरण**; (ii)** नालियों और जल निकासी कार्यों और सार्वजनिक शौचालयों**,** मूत्रालयों और इसी तरह की सुविधाओं का निर्माण**,** रखरखाव और सफाई**; (iii)** जनता के लिए पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए कार्यों का निर्माण और रखरखाव**;** और **(iv)** जनता को बिजली की आपूर्ति और वितरण के लिए निर्माण या रखरखाव**,** विस्तार**,** प्रबंधन या जनता के लिए इसी तरह की सुविधाओं का प्रावधान।**[**पैरा **36] [376-**बी-डी**]**

जी.

2. अधिनियम की धारा **20** ए की उप-धारा **(4)** किसी भी अनुमति को प्रतिबंधित करती है**,** जिसमें जनता के लिए आवश्यक कोई सार्वजनिक कार्य या परियोजना या उसकी उप-धारा **(3)** में निर्दिष्ट किसी भी निषिद्ध क्षेत्र में अन्य निर्माण शामिल हैं।

एच.

ए.

जिस तारीख को प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष **(**संशोधन और वैधीकरण**)** विधेयक**, 2010** को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है।इसे **2010** के अधिनियम संख्या **10** द्वारा क़ानून पुस्तिका में लाया गया था।यह भी ध्यान देने योग्य है कि इसी संशोधन द्वारा उक्त अधिनियम की धारा **20** सी को भी कानून की पुस्तक में लाया गया है।उक्त अधिनियम की धारा **20** सी की उप-धारा **(1)** में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति**,** जो किसी भी भवन या संरचना का मालिक है**,** जो **16** जून**, 1992** से पहले किसी निषिद्ध क्षेत्र में मौजूद था**,** या जिसका बाद में महानिदेशक के अनुमोदन से निर्माण किया गया था और जो ऐसी इमारत या संरचना की कोई मरम्मत या नवीनीकरण करना चाहता है**,** वह ऐसी मरम्मत या नवीनीकरण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है**,** जैसा भी मामला हो। इसी तरह**,** उक्त अधिनियम की धारा **20** सी की उप-धारा **(2)** किसी ऐसे व्यक्ति को**,** जो किसी विनियमित क्षेत्र में किसी भी भवन या संरचना या भूमि का मालिक है या उसके पास है**,** और ऐसी भूमि पर**,** जो भी मामला हो**,** किसी भी निर्माण या पुनर्निर्माण या मरम्मत या नवीनीकरण करने की इच्छा रखता है**,** सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करने के लिए सक्षम बनाती है।उक्त अधिनियम की धारा **20** डी विनियमित क्षेत्र के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति देने से संबंधित है।उक्त अधिनियम की धारा **20** डी की उप-धारा **(1)** में प्रावधान है कि उक्त अधिनियम की धारा **20** सी के तहत अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन किया जाएगा।इसकी उप-धारा **(2)** में सक्षम प्राधिकारी से संबंधित संरक्षित स्मारक या संरक्षित क्षेत्र से संबंधित विरासत उपनियमों को ध्यान में रखते हुए ऐसे निर्माण के गहन

प्रभाव पर विचार करने के लिए उसे प्राधिकरण को भेजने की अपेक्षा की गई है।उसकी उप-धारा **(2)** के परंतुक के तहत**,** केंद्र सरकार को उन आवेदनों की श्रेणी निर्धारित करने का अधिकार है जिनके संबंध में इस उप**-**धारा के तहत अनुमति दी जाएगी और ऐसे आवेदन जिन्हें प्राधिकरण को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाएगा।उसकी उप**-**धारा **(3)** के तहत**,** प्राधिकरण से अपेक्षा की जाती है कि वह उसकी उप**-**धारा **(2)** के तहत आवेदन प्राप्त होने की तारीख से दो महीने के भीतर सक्षम प्राधिकारी को ऐसे निर्माण आदि के प्रभाव के बारे में सूचित करे। एकर उप**-**धारा **(4)** क अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारीसँ अपेक्षा कयल जायत छैक कि ओ एक मासक भीतर प्राधिकरण द्वारा अनुशंसा कयल गेल अनुमतिकेँ या तँ अनुमति दैत अछि या मना कऽ दैत अछि।

जी.

एच.

361

अर्धेन्दु कुमार दास बनाम ओडिशा और ओआरएस का राज्य।

प्राधिकरण से उसकी उप**-**धारा **(3)** के तहत सूचना की प्राप्ति।इसकी उप**-**धारा **(5)** के तहत प्राधिकरण की सिफारिशों को अंतिम रूप दिया जाता है।**[**पैरा **37-39] [376-D-H; 377-A-E]**

3. यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि क़ानून के सभी प्रावधानों को सामंजस्यपूर्ण तरीके से पढ़ा जाना चाहिए।यह माना जाता है कि प्रत्येक प्रावधान को विधायिका द्वारा किसी न किसी उद्देश्य से कानून की पुस्तक में लाया गया है।एक विशेष प्रावधान को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है और इसे एक दूसरे के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए।कानून के सभी प्रावधानों को एक साथ मिलाने का प्रयास किया जाना चाहिए**,** जब तक कि यह असंभव न हो।पहली बार में**,** उक्त अधिनियम की धारा **20** ए की उप**-**धारा **(4)** के आधार पर अपीलार्थीगण की दलीलें आकर्षक लग सकती हैं।लेकिन जब उक्त अधिनियम की धारा **20** ए की उप**-**धारा **(4)** को धारा **2** के खंड **(**डीसी**)** और उक्त अधिनियम की धारा **20** सी और **20** डी के प्रावधानों के अनुरूप पढ़ा जाता है**,** तो इस न्यायालय ने पाया कि यह निवेदन कि निषिद्ध क्षेत्र या विनियमित क्षेत्र में कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकता है**,** टिकाऊ नहीं होगा।सबसे पहले**,** उक्त अधिनियम की धारा **2** का खंड **(**डी**.** सी**.)** स्वयं "निर्माण" की

परिभाषा से चार श्रेणियों को बाहर करता है।विधायी आशय इस प्रकार स्पष्ट है कि जिन चार श्रेणियों को उक्त अधिनियम की धारा **2** के खंड **(**डी**.** सी**.)** में परिभाषित "निर्माण" की परिभाषा से बाहर रखा गया है**,** उन्हें "निर्माण" के रूप में नहीं माना जाएगा**,** जहां भी उक्त शब्द को क़ानून में संदर्भित किया गया है।विधायी इरादा स्पष्ट है कि मौजूदा भवनों के पुनर्निर्माण**,** मरम्मत**,** नवीनीकरण को परिभाषा से बाहर रखा गया है।इसी तरह नालियों**,** जल निकासी कार्यों**,** सार्वजनिक शौचालयों और मूत्रालयों का निर्माण**,** रखरखाव आदि। जनता को पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए कार्यों का निर्माण और रखरखाव**;** और बिजली के वितरण के लिए निर्माण आदि**,** जिन्हें बड़े पैमाने पर जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक सेवाएं माना जा सकता है**,** को जानबूझकर "निर्माण" की परिभाषा से बाहर रखा गया है।यह माना जा सकता है कि विधायिका इस बात से अवगत थी कि मौजूदा संरचनाओं या भवनों की मरम्मत और पुनर्निर्माण या तीर्थयात्रियों/निवासियों के लिए सार्वजनिक शौचालय**,** मूत्रालय**,** पानी की आपूर्ति और बिजली वितरण जैसी आवश्यक सुविधाओं का निर्माण बुनियादी आवश्यकताएं हैं और इस तरह**,** निषिद्ध क्षेत्र में भी अनुमति दी जानी चाहिए।यदि इसकी इस तरह से व्याख्या नहीं की जाती है**,** तो धारा **20** सी

जी.

एच.

ए.

उक्त अधिनियम को निरर्थक और निरर्थक बना दिया जाएगा।ऐसी व्याख्या से बचना चाहिए जो किसी विशेष प्रावधान को निरर्थक या अनावश्यक या अर्थहीन बनाती है।**[**पारस **40-42] [377-F-H; 378-A-D]**

4. अधिनियम की धारा **20** डी विनियमित क्षेत्र के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति देने से संबंधित पूरी प्रक्रिया से संबंधित है।निर्विवाद रूप से**,** वर्तमान मामले में**,** सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा **20** डी के तहत आवश्यक प्रक्रिया का पालन किया है और प्राधिकरण**,** यानी एन**.** एम**.** ए**.** ने काम के लिए अपनी अनुमति दे दी है**,** जो किया जाता है।इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि महानिदेशक ने देखा है कि मंदिर के निषिद्ध क्षेत्र के भीतर आने वाली सुविधाएं भक्तों के लिए आवश्यक हैं**,** और इसलिए**,** यह सहमति हुई कि इसकी अनुमति दी जा सकती है।यह भी देखा गया कि एएसआई डिजाइन

पर राज्य सरकार के साथ समन्वय में काम करेगा ताकि मुख्य मंदिर पर कोई दृश्य प्रभाव न पड़े।राज्य सरकार से यह भी अनुरोध किया गया कि वह पूरे मंदिर परिसर की आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिलकर पूरे डिजाइन को सरल रखे।विवादित आदेश में, यहां तक कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने महाधिवक्ता का बयान इस आशय से दर्ज किया है कि एएसआई और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करेंगे।जहाँ तक स्वागत क्षेत्र का संबंध है, विवादित आदेश से यह भी पता चलेगा कि विद्वान महाधिवक्ता ने स्पष्ट किया है कि इसे अब प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर ले जाया जाएगा और इसका निर्माण विनियमित क्षेत्र में किया जाएगा।**[**पारस **44,46** और **47] [378-**जी-एच**; 380-**बी-डी**]**

5. इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि ए**.** एस**.** आई**.** के महानिदेशक ने भी पुरी और एकरक्षेत्र की क्षमता को विश्व धरोहर स्थलों के रूप में स्वीकार किया है।यह सहमति हुई कि दोनों स्थानों के सभी कार्यों को विश्व धरोहर स्थलों के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उन्हें विकसित करने की संभावना को ध्यान में रखते हुए डिजाइन और निष्पादित किया जाएगा।अधीक्षण पुरातत्वविद्, ए**.** एस**.** आई**.** के शपथ पत्र से यह भी पता चलेगा कि निषिद्ध क्षेत्र में शौचालय, नालियों और विद्युत कार्यों जैसे कार्यों के निर्माण के संबंध में कोई गंभीर आपत्ति नहीं है।विनियमित क्षेत्र में निर्माण शुरू करने के संबंध में भी कोई गंभीर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।**[**पारस **49** और **50] [380-**एच**; 381-**ए-बी**]**
ए

जी.

एच.

363

अर्धेन्दु कुमार दास बनाम ओडिशा और ओआरएस का राज्य।

6. मामले के इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि जो निर्माण गतिविधियाँ की जा रही हैं, वे मृणालिनी पाधी के मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में की जा रही हैं।यह निर्माण पुरुषों और महिलाओं के लिए शौचालय, क्लोक रूम, बिजली के कमरे आदि जैसी बुनियादी और आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। ये बुनियादी सुविधाएं हैं जो बड़े पैमाने पर भक्तों की सुविधा के लिए आवश्यक हैं।जैसा कि यहाँ पहले ही चर्चा की जा

चुकी है, विधायी इरादा स्पष्ट प्रतीत होता है।विधायिका ने जानबूझकर "निर्माण" की परिभाषा से चार श्रेणियों को बाहर कर दिया है।इसके पीछे का उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि मौजूदा इमारतों की मरम्मत और नवीनीकरण और जल निकासी, शौचालय, पानी की आपूर्ति और बिजली के वितरण जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक निर्माण को वैधानिक अनुमति की आवश्यकता की कठोरता से बाहर रखा जाना चाहिए।**[**पैरा **51] [381-**डी**-**एफ**]**

7. यदि कोई व्यक्ति निषिद्ध क्षेत्र में शौचालय का निर्माण कर सकता है, तो क्या राज्य को ऐसा करने से मना किया जा सकता है, जब राज्य को मंदिर में आने वाले लाखों भक्तों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए व्यापक जनहित में ऐसा करना आवश्यक लगता है**?** इसका जवाब एक जोरदार 'नहीं' है।**[**पैरा **52] [381-**जी**-**एच**]**

8. हाल के दिनों में जनहित याचिकाओं में वृद्धि हुई है।हालांकि, ऐसी कई याचिकाओं में कोई जनहित शामिल नहीं है।याचिकाएं या तो प्रचार हित मुकदमे या व्यक्तिगत हित मुकदमे हैं।यह न्यायालय इस तरह की तुच्छ याचिकाएं दायर करने की प्रथा की अत्यधिक निंदा करता है।वे कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं हैं।वे एक मूल्यवान न्यायिक समय का अतिक्रमण करते हैं जिसका उपयोग अन्यथा वास्तविक मुद्दों पर विचार करने के लिए किया जा सकता है।यह सही समय है कि इस तरह की तथाकथित जनहित याचिकाओं को जल्द ही समाप्त कर दिया जाए ताकि व्यापक जनहित में विकासात्मक गतिविधियों को रोका न जा सके।परिणामस्वरूप, अपीलों को बिना किसी सार के पाए जाने पर, लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है, प्रत्येक की मात्रा रु**. 1,00,000** होती है, जो अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी संख्या **1** को देय होती है।**[**पारस **59** और **60] [382-**जी**-**एच**; 383-**ए**]**

संदर्भित किया गया है

पैरा **15**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2022 की सिविल अपील संख्या 4515।

2022 की रिट याचिका (सिविल) No.6257 में कटक में उड़ीसा उच्च न्यायालय के दिनांकित 09.05.2022 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

2022 की सिविल अपील संख्या 4516।

सुश्री प्रिया हिंगोरानी (एसी) सुश्री महालक्ष्मी पवनी, विनय नवारे, कपिल सिब्बल, पिनाकी मिश्रा, ए. डी. एन. राव, वरिष्ठ अधिवक्ता।, अशोक परिजा, एड. जनरल, हिमांशु यादव (एसी), अनिरुद्ध जामवाल (एसी), टॉमी चाको, अंकोलेकर गुरुदत्त, गौतम दास, संग्राम पटनायक, धीरेंद्र कुमार झा, मेरुसागर सामंताराय, जॉयदीप रॉय, राहुल जी. तनवानी, परावर्तक पाठक, तपस परिदा, सी. एम. गोपाल, सुश्री वंदना मिगलानी बेबर्ता, सुश्री स्मिता सामंताराय, डॉ. आकाश कौशिक, गौरव खन्ना, अर्णव बेहरा, अवनीश कुमार शर्मा, धनंजय मिश्रा, पाई अमित, सुश्री पंखुड़ी भारद्वाज, श्वेतारेतु मिश्रा, संजय के. दास, वी. के.उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी**.** आर**.** गवई**,** जे**.**

1. ये दोनों याचिकाएँ कटक में उड़ीसा उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा 2022 की लिखित याचिका (सिविल) No.6257 में पारित 9 मई, 2022 के अंतर्वर्ती आदेश को चुनौती देती हैं, जिसमें उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने ओडिशा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान महाधिवक्ता द्वारा कुछ प्रस्तुतियाँ और बयान दर्ज किए हैं और मामले को 2022 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 10153 के साथ 22 जून, 2022 को पोस्ट करने का निर्देश दिया है।याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों के आधार से, ऐसा प्रतीत होता है कि वे मूल रूप से व्यथित हैं क्योंकि उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण को निर्माण के साथ आगे बढ़ने से रोकने वाला अंतरिम आदेश नहीं दिया है।

जी.

एच.

365

अर्धेन्दु कुमार दास बनाम ओडिशा और ओआरएस का राज्य। [बी. आर. गवई, जे.] ए.

ए.

2. वर्तमान कार्यवाहियों को दाखिल करने की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि इस प्रकार हैः

3. एक जनहित याचिका, जिसे 2022 की लिखित याचिका (सिविल) No.6257 कहा जा रहा है, उड़ीसा के उच्च न्यायालय में एक व्यक्ति दिलीप कुमार बराल द्वारा दायर की गई, जिसमें श्री जगन्नाथ मंदिर परिसर के निषिद्ध क्षेत्र के भीतर प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 द्वारा प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (जिसे इसके बाद "उक्त अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) के प्रावधानों के उल्लंघन में की गई कथित गैर-स्वीकृत और अनधिकृत निर्माण गतिविधियों को चुनौती दी गई है।

4. ऐसा प्रतीत होता है कि शुरू में उक्त रिट याचिका को 8 अप्रैल, 2022 को उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, जिस तारीख को विद्वान महाधिवक्ता द्वारा दिए गए कुछ बयानों को रिकॉर्ड में लिया गया था।इसके बाद, जब मामले को 21 अप्रैल, 2022 को सूचीबद्ध किया गया, तो कुछ और आदेश पारित किए गए।इसके बाद, 9 मई, 2022 का आदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, जो वर्तमान विशेष अनुमति याचिकाओं में विवादित है।

5. याचिकाकर्ता-अर्थेंदु कुमार दास 2022 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) डायरी No.16718 में उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता नहीं हैं।हालाँकि, वह भगवान जगन्नाथ का एक उत्साही भक्त होने का दावा करता है और इसलिए, उसने उच्च न्यायालय के समक्ष एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया था, जो विचाराधीन है।इसलिए याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय की खंड पीठ के 9 मई, 2022 के आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान विशेष अनुमति याचिका दायर करने की अनुमति के लिए एक अंतर्वर्ती आवेदन दायर किया है।

6. याचिकाकर्ता-2022 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) डायरी No.17078 में याचिकाकर्ता-सुमंत कुमार घादेई भी उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता नहीं हैं।उक्त याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में एक हस्तक्षेप आवेदन भी दायर किया था, जो निर्णय के लिए लंबित है।उक्त याचिकाकर्ता एक सामाजिक कार्यकर्ता और व्यवसायी

होने का दावा करता है, जो भगवान जगन्नाथ का भक्त है और यह भी दावा करता है कि उसने शोध किया है और राज्य के प्राचीन स्मारकों और मूर्तियों में उसकी गहरी रुचि है।7. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जनहित से जुड़े बड़े मुद्दे शामिल हैं, हम विशेष अनुमति याचिका दायर करने की अनुमति के लिए उक्त आवेदनों की अनुमति देते हैं।हम इन दोनों विशेष अनुमति याचिकाओं में भी अनुमति देते हैं।

जी.

एच.

8. रघुनाथ गोछिकर और अन्य लोगों द्वारा एक अभियोग आवेदन दायर किया गया है, जो सेवायत होने का दावा करते हैं।आवेदक राज्य सरकार के रुख का समर्थन करते हैं।हम उनके आवेदन को स्वीकार करने और उन्हें हस्तक्षेप करने की अनुमति देने के लिए इच्छुक हैं।इसे तदनुसार आदेश दिया जाता है।9. हमने सुना है कि अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री महालक्ष्मी पवनी-अरधेंदु कुमार दास, श्री विनय नवारे, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता-सुमंता कुमार घाडेई, श्री अशोक परिजा, ओडिशा राज्य के विद्वान महाधिवक्ता, श्री कपिल सिब्बल और श्री पिनाकी मिश्रा, प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री ए. डी. एन. राव, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ("ए. एस. आई".) की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री श्वेतारेतु मिश्रा, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता संख्या 5 से 7-श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति और श्री पी.10. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री महालक्ष्मी पवनी प्रस्तुत करती हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 20 ए की उप-धारा (4) को देखते हुए, प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष (संशोधन और वैधता) विधेयक, 2010 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने की तारीख को और उसके बाद किसी भी निषिद्ध क्षेत्र में जनता या अन्य निर्माण के लिए आवश्यक किसी भी सार्वजनिक कार्य या परियोजना को करने के लिए कोई अनुमति नहीं दी जा सकती है।सुश्री पवनी ने आगे कहा कि संरक्षण सहायक, ए. एस. आई. द्वारा 5 फरवरी, 2022 को वरिष्ठ परियोजना प्रबंधक, ओ. बी. सी. सी. को संबोधित पत्र से पता चलेगा कि प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 श्री जगन्नाथ मंदिर के केंद्रीय संरक्षित स्मारक के निषिद्ध क्षेत्र के भीतर अनधिकृत निर्माण कर रहे थे।वह आगे प्रस्तुत करती है कि निरीक्षण रिपोर्ट से पता चलेगा कि उत्तरदाता-राज्य द्वारा किए गए काम में गंभीर अनियमितताएं हैं।वह आगे प्रस्तुत

करती है कि मंदिर के पास बड़ी मात्रा में खुदाई की जा रही है, जो मंदिर के लिए खतरनाक होगी, जो एक पुरानी संरचना है।

जी.

11. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विनय नवारे ने प्रस्तुत किया कि जहां तक राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (संक्षेप में "एन. एम. ए".) द्वारा दिनांक 4 सितंबर, 2021 को जारी तथाकथित "अनापत्ति प्रमाण पत्र" (संक्षेप में "एन. ओ. सी".) का संबंध है, उक्त प्राधिकरण के पास निर्माण की अनुमति देने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।उक्त अधिनियम की धारा 20-I के प्रावधानों पर भरोसा करते हुए, वह प्रस्तुत करता है कि एन. एम. ए. केवल एक अनुशंसा करने वाला प्राधिकरण है

एच.

367

अर्धेन्दु कुमार दास बनाम ओडिशा और ओआरएस का राज्य। [बी. आर. गवई, जे.] ए.

और निषिद्ध क्षेत्र या विनियमित क्षेत्र में किसी भी निर्माण की अनुमति देने के लिए कानून में कोई अधिकार नहीं है।वह आगे प्रस्तुत करता है कि यदि किसी निषिद्ध क्षेत्र में कोई निर्माण गतिविधि की जानी है, तो उसे केवल ए. एस. आई. द्वारा और किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा नहीं किया जाना चाहिए।

12. अतः दोनों विद्वान अधिवक्ता ों का कहना है कि उत्तरदाता-राज्य को वर्तमान अपीलों के लंबित रहने के दौरान किसी भी आगे की निर्माण गतिविधि को करने से रोकना आवश्यक है।
13. श्री अशोक परिजा, विद्वान महाधिवक्ता, प्रस्तुत करते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (डी. ए.) के तहत, "प्राधिकरण" शब्द को धारा 20 एफ के तहत गठित एन. एम. ए. के अर्थ में परिभाषित किया गया है। वे प्रस्तुत करते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (डी. बी.) में "सक्षम प्राधिकारी" को परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ केंद्र या राज्य सरकार के पुरातत्व निदेशक या पुरातत्व आयुक्त या समकक्ष पद से कम के अधिकारी से नहीं है, जिसे आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।उन्होंने प्रस्तुत किया कि भारत सरकार ने 13 फरवरी, 2012 की अधिसूचना के माध्यम से उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (डी. बी.) के प्रावधान द्वारा

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशक, संस्कृति, पर्यटन और संस्कृति विभाग (संस्कृति), ओडिशा सरकार, भुवनेश्वर को उक्त अधिनियम की धारा 20 सी और 20 डी के उद्देश्य से ओडिशा राज्य के लिए "सक्षम प्राधिकारी" के रूप में अधिसूचित किया है। विद्वान महाधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि "सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान करना" उक्त अधिनियम की धारा 20 डी द्वारा विनियमित है। उन्होंने आगे कहा कि उक्त अधिनियम की धारा 20 डी के प्रावधानों को देखते हुए, ओडिशा राज्य के लिए सक्षम प्राधिकारी ने एन. एम. ए. को एन. ओ. सी. देने के लिए आवेदन किया था। एन. एम. ए. ने 4 सितंबर, 2021 के आदेश के माध्यम से प्रतिबंधित क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र के भीतर विभिन्न कार्यों को करने के लिए अपनी एन. ओ. सी. प्रदान की।14. विद्वान महाधिवक्ता ने आगे कहा कि उक्त अधिनियम की धारा 2 का खंड (डी. सी.) "निर्माण" को परिभाषित करता है।उन्होंने प्रस्तुत किया कि परिभाषा में विशेष रूप से किसी मौजूदा संरचना या भवन का पुनर्निर्माण, मरम्मत और नवीनीकरण, या, नालियों और जल निकासी कार्यों और सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों और इसी तरह की सुविधाओं का निर्माण, रखरखाव और सफाई, या, जनता के लिए पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए कार्यों का निर्माण और रखरखाव, या, निर्माण या रखरखाव, विस्तार, जनता को बिजली की आपूर्ति और वितरण के लिए प्रबंधन या जनता के लिए इसी तरह की सुविधाओं का प्रावधान शामिल नहीं है।

15. विद्वान महाधिवक्ता ने आगे कहा कि मृणालिनी पाधी बनाम भारत संघ और अन्य 1 के मामले में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने स्वयं पाया है कि पुरुष और महिला के लिए अलग-अलग शौचालयों का निर्माण करना आवश्यक था।उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि उक्त मामले में इस न्यायालय ने स्वयं एएसआई को सहयोग करने और सुधार की गतिविधियों की अनुमति देने का निर्देश दिया है जो बड़े पैमाने पर जनता को सुविधाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं।

16. श्री पिनाकी मिश्रा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रस्तुत करते हैं कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि रथ यात्रा अवधि के दौरान लाखों की संख्या में आने वाले भक्तों को गंभीर असुविधा हुई थी, यह आवश्यक पाया गया कि मंदिर के आसपास के 75 मीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्र को भक्तों के लिए मार्ग के लिए साफ किया जाए।उन्होंने कहा कि औसतन हर दिन लगभग 60,000 श्रद्धालु मंदिर में आते हैं।भक्तों के लिए अनुशासन बनाए रखने और मंदिर में प्रवेश करने के लिए कोई उचित कतार नहीं है।उन्होंने कहा कि महिलाओं और पुरुषों के लिए शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी थी।इस प्रकार, व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने आसपास के भवनों का अधिग्रहण किया था, जिन्हें दशकों पहले लॉज के रूप में बनाया गया था।उन्होंने कहा कि मंदिर के आसपास के पूरे क्षेत्र का अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों का सहारा लिए बिना बातचीत के माध्यम से किया गया था। वे प्रस्तुत करते हैं कि ये इमारतें सेवायतों के स्वामित्व में थीं, जो मंदिर के आसपास के विकास कार्यों का भी विरोध नहीं कर रहे हैं और इसके विपरीत, इसका समर्थन करते हैं।

17. श्री पाई अमित, आवेदकों/हस्तक्षेप करने वालों/हस्तक्षेप करने वालों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता और श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री श्वेतारेतु मिश्रा भी विद्वान महाधिवक्ता द्वारा की गई दलीलों का समर्थन करते हैं।

18. ए. एस. आई. की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ए. डी. एन. राव प्रस्तुत करते हैं कि ए. एस. आई. का रुख उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष दायर हलफनामे में परिलक्षित होता है और कहते हैं कि ए. एस. आई. को कानून के प्रावधानों के अनुरूप सख्ती से किए जा रहे निर्माण पर कोई आपत्ति नहीं है।

जी.

19. हालांकि वर्तमान अपीलें लंबी दलीलों के कारण उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित अंतर्वर्ती आदेश को चुनौती देती हैं

1 (2019) 18 एससीसी 1 ए

एच.

369

अर्धेन्दु कुमार दास बनाम ओडिशा और ओआरएस का राज्य। [बी. आर. गवई, जे.] ए.

दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत किए गए हैं, हम योग्यता के आधार पर प्रस्तुतियों पर विचार करना उचित समझते हैं।

20. वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में चुनौती पर विचार करने से पहले, इस न्यायालय के पहले के निर्णय का उल्लेख करना उचित होगा, जिसका वर्तमान मामले में निर्णय पर प्रभाव पड़ेगा।

21. मृणालिनी पाधी (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ को श्री जगन्नाथ मंदिर के आसपास की स्थिति पर विचार करने का अवसर मिला।उक्त मामले में इस अदालत ने शुरू में 8 जून, 2018 को एक आदेश पारित किया था, जिसमें जिला न्यायाधीश, पुरी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।इसके बाद इस अदालत ने 9 जनवरी, 2019 के आदेश के माध्यम से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार को न्यायमित्र नियुक्त किया और वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री प्रिया हिंगोरानी से मामले में उनकी सहायता करने का अनुरोध किया गया।विद्वान न्यायमित्र श्री रंजीत कुमार ने समय-समय पर अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसके आधार पर कुछ आदेश पारित किए गए हैं।अंत में, 4 नवंबर, 2019 के आदेश के माध्यम से, इस न्यायालय ने विभिन्न निर्देश जारी किए।निर्देश जारी करते समय, इस अदालत ने विभिन्न हितधारकों के विचारों को भी दर्ज किया था।

22. इस अदालत ने मृणालिनी पाधी (उपरोक्त) के मामले में फैसले के पैराग्राफ 17 में पाया था कि मंदिर के आसपास पुनर्विकास योजना मुख्य रूप से तीर्थयात्रियों के लाभ के लिए क्षेत्र में भीड़ को कम करने और पुरी शहर को विश्व धरोहर शहर बनाने के लिए है।इस न्यायालय ने यह भी दर्ज किया कि कोई भी इस स्थान की बेहतरी के लिए सुधारों का विरोध नहीं कर रहा था।इस न्यायालय ने पैराग्राफ 18 में यह भी देखा कि वार्षिक रथ यात्रा के दौरान, लाखों लोग मंदिर शहर में आते हैं और सभा असहनीय होती है।

23. इस न्यायालय ने एमिकस क्यूरी श्री रंजीत कुमार के साथ-साथ वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री प्रिया हिंगोरानी की टिप्पणियों को दर्ज किया, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से मंदिर परिसर का दौरा किया था।आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि इस न्यायालय ने भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता से व्यक्तिगत रूप से मंदिर परिसर का दौरा करने का भी अनुरोध किया था।उनके अवलोकनों से यह पाया गया कि मठों के अंदर के मंदिर, उनकी गाड़ियों, समाधियों और अन्य कलाकृतियों को संरक्षित किया गया है।

जी.

24. पैराग्राफ 40 में, इस न्यायालय ने विभिन्न निर्देश जारी किए।पैराग्राफ 40.15 में, इस अदालत ने निर्देश दिया कि एक होना आवश्यक था

एच.

बड़े पैमाने पर लोगों द्वारा उचित दर्शन।यह भी निर्देश दिया गया कि हंगामा और अराजकता से बचना आवश्यक है क्योंकि हर दिन बड़ी संख्या में तीर्थयात्री मंदिर में आते हैं।इसलिए इस न्यायालय ने मंदिर प्रशासन और राज्य सरकार सहित मुख्य प्रशासक को भक्तों/तीर्थयात्रियों द्वारा उचित दर्शन करने के लिए विशेषज्ञों की मदद से एक रोडमैप तैयार करने का निर्देश दिया।पैराग्राफ 40.16 में, इस अदालत ने मंदिर प्रशासन और मंदिर पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि मंदिर के अंदर सुरक्षा कड़ी करने के लिए कर्मियों का एक समर्पित वर्ग होगा और यह सुनिश्चित किया जाए कि मंदिरों में ऐसी कोई घटना न हो और महिलाओं के साथ कोई दुर्व्यवहार न हो।

25. पैराग्राफ 40.19 और 40.20 में दिए गए निर्देशों को पुनः प्रस्तुत करना भी प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार हैं:

“ 40.19.विद्वान न्यायमित्र ने यह भी बताया है कि पुरुष और महिला के लिए अलग-अलग शौचालयों की आवश्यकता है।हम निर्देश देते हैं कि शौचालयों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाए और उन्हें पूरी तरह से साफ रखा जाए।शौचालयों की संख्या मंदिर में औसत भीड़ को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त होगी, जो संख्या में बड़ी है।

40.20.क्लोक कमरों के बारे में एक आवश्यकता बताई गई है।मंदिर प्रशासन को इस संबंध में कदम उठाने दें।”26. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने पुरुष और महिला के लिए अलग-अलग शौचालय की आवश्यकता पर जोर दिया है।इस अदालत ने आगे निर्देश दिया कि शौचालयों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाना चाहिए और उन्हें पूरी तरह से साफ रखा जाना चाहिए।इस न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि मंदिर में औसत भीड़ को ध्यान में रखते हुए शौचालयों की संख्या पर्याप्त

होगी।इस न्यायालय ने आगे क्लोक रूम की आवश्यकता पर जोर दिया और मंदिर प्रशासन को इस संबंध में कदम उठाने का निर्देश दिया।

27. इस न्यायालय ने एएसआई को आगे सहयोग करने और सुधार की गतिविधियों की अनुमति देने का निर्देश दिया जो प्रथम दृष्टया आपत्तिजनक नहीं हैं और सार्वजनिक स्वच्छता, स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं।इस न्यायालय ने केवल यह शर्त रखी है कि नई संरचना का रूप प्राचीन संरचना के समान ही बनाए रखा जाए।

जी.

28. इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से प्रकट करेगा कि निर्माण की प्रकृति जो उत्तरदाताओं-राज्य और मंदिर प्रशासन द्वारा की जाती है, इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप है।

एच.

371

अर्धेन्दु कुमार दास बनाम ओडिशा और ओआरएस का राज्य। [बी. आर. गवई, जे.] ए.

ए.

29. इस पृष्ठभूमि में हम उक्त अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में प्रस्तुतियों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ेंगे।

30. उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (डी. ए.), (डी. बी.) और (डी. सी.) क्रमशः "प्राधिकरण", "सक्षम प्राधिकारी" और "निर्माण" को परिभाषित करते हैं, जो निम्नानुसार हैं:

“2. परिभाषाएँ।- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो, -

(ए)।

(दा) "प्राधिकरण" से धारा 20-एफ के तहत गठित राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण अभिप्रेत है;

((घ) "सक्षम प्राधिकारी" से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के तहत कार्य करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट पुरातत्व निदेशक या केंद्र या राज्य सरकार के पुरातत्व आयुक्त या समकक्ष पद से कम नहीं है:

बशर्ते कि केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 20-सी, 20-डी और 20-ई के उद्देश्य के लिए विभिन्न सक्षम प्राधिकरणों को निर्दिष्ट कर सकती है;

((घ) "निर्माण" से किसी संरचना या भवन का कोई निर्माण अभिप्रेत है, जिसमें ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज रूप से कोई जोड़ या विस्तार भी शामिल है, लेकिन इसमें किसी मौजूदा संरचना या भवन का कोई पुनर्निर्माण, मरम्मत और नवीनीकरण, या नालियों और जल निकासी कार्यों और सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों और इसी तरह की सुविधाओं का निर्माण, रखरखाव और सफाई, या जनता के लिए पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए कार्यों का निर्माण और रखरखाव, या जनता को बिजली की आपूर्ति और वितरण के लिए निर्माण या रखरखाव, विस्तार, प्रबंधन या जनता के लिए समान सुविधाओं का प्रावधान शामिल नहीं है।

जी.

31. उक्त अधिनियम की धारा 20 ए इस प्रकार हैः

“प्रतिबंधित और विनियमित क्षेत्र

20 ए. निषिद्ध क्षेत्र की घोषणा और निषिद्ध क्षेत्र में सार्वजनिक कार्य या अन्य कार्य करना।—हर क्षेत्र, शुरुआत

एच.

संरक्षित क्षेत्र या संरक्षित स्मारक की सीमा पर, जैसा भी मामला हो, और सभी दिशाओं में एक सौ मीटर की दूरी तक फैला हुआ ऐसा संरक्षित क्षेत्र या संरक्षित स्मारक के संबंध में निषिद्ध क्षेत्र होगाः

बशर्ते कि केंद्र सरकार, प्राधिकरण की सिफारिश पर, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 4-ए के तहत किसी भी संरक्षित स्मारक या संरक्षित क्षेत्र के वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए एक सौ मीटर से अधिक क्षेत्र को निषिद्ध क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट कर सकती है।

(2) धारा 20-सी में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, पुरातत्व अधिकारी के अलावा कोई भी व्यक्ति किसी भी निषिद्ध क्षेत्र में कोई निर्माण नहीं करेगा।

(3) ऐसे मामले में जहां केंद्र सरकार या महानिदेशक, जैसा भी मामला हो, संतुष्ट हैं कि -

((क) ऐसे सार्वजनिक कार्य या जनता के लिए आवश्यक किसी परियोजना को पूरा करने के लिए यह आवश्यक या समीचीन है; या

((ख) उसकी राय में, ऐसे अन्य कार्य या परियोजना का स्मारक या उसके आसपास के क्षेत्र के संरक्षण, सुरक्षा, या पहुंच पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

वह, उप-धारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, अपवादात्मक मामलों में और लोक हित को ध्यान में रखते हुए, आदेश द्वारा और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, ऐसे सार्वजनिक कार्य या परियोजना को, जो जनता या अन्य निर्माणों के लिए आवश्यक है, किसी निषिद्ध क्षेत्र में करने की अनुमति दे सकता हैःबशर्ते कि 16 जून, 1992 को या उसके बाद शुरू होने वाली अवधि के दौरान, लेकिन उस तारीख से पहले समाप्त होने वाली अवधि के दौरान घोषित किसी भी संरक्षित स्मारक या उसके आस-पास के क्षेत्र के पास का कोई भी क्षेत्र, जिसे प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 2010, ऐसे संरक्षित स्मारक के संबंध में एक निषिद्ध क्षेत्र के रूप में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करता है, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उस संरक्षित स्मारक के संबंध में घोषित निषिद्ध क्षेत्र माना जाएगा और

जी.

एच.

373

अर्धेन्दु कुमार दास बनाम ओडिशा और ओआरएस का राज्य। [बी. आर. गवई, जे.] ए.

केंद्र सरकार या महानिदेशक, जैसा भी मामला हो, विशेषज्ञ सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर निषिद्ध क्षेत्र के भीतर निर्माण के लिए, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वैध रूप से स्वीकृत माना जाएगा, जैसे कि यह धारा हर भौतिक समय पर लागू थीः

बशर्ते कि पहले परंतुक में निहित कुछ भी प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष नियम, 1959 के नियम 34 के तहत जारी संस्कृति विभाग (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

संख्या एस. ओ. 1764, दिनांक 16 जून, 1992 में भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसरण में किसी भी निषिद्ध क्षेत्र में किसी भी भवन या संरचना के निर्माण या पुनर्निर्माण के पूरा होने के बाद दी गई किसी भी अनुमति पर लागू नहीं होगा, या भारत सरकार संख्या 24/22/2006-एम, दिनांक 20 जुलाई, 2006 के आदेश के अनुसरण में गठित समिति की सिफारिशें प्राप्त किए बिना (जिसे बाद में 27 अगस्त, 2008 और 5 मई के आदेशों में विशेषज्ञ सलाहकार समिति के रूप में संदर्भित किया गया)।

(4) उप-धारा (3) में निर्दिष्ट कोई भी अनुमति, जिसमें जनता या अन्य निर्माणों के लिए आवश्यक कोई सार्वजनिक कार्य या परियोजना शामिल है, किसी भी निषिद्ध क्षेत्र में उस तारीख को और उसके बाद नहीं दी जाएगी जिस दिन प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष (संशोधन और वैधता) विधेयक, 2010 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है।"

32. उक्त अधिनियम की धारा 20 सी और 20 डी इस प्रकार हैः

20 ग**.** निषिद्ध क्षेत्र में मरम्मत या नवीनीकरण**,** या विनियमित क्षेत्र में निर्माण या पुनर्निर्माण या मरम्मत या नवीनीकरण के लिए आवेदन।**—(1)** कोई भी व्यक्ति**,** जिसका मालिक हो

कोई भी भवन या संरचना, जो 16 जून, 1992 से पहले किसी निषिद्ध क्षेत्र में मौजूद थी, या जिसका निर्माण बाद में महानिदेशक के अनुमोदन से किया गया था और जो ऐसी इमारत या संरचना की कोई मरम्मत या नवीनीकरण करना चाहता है, ऐसी मरम्मत या नवीनीकरण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है, जैसा भी मामला हो।

जी.

एच.

(2) कोई भी व्यक्ति, जो किसी भी विनियमित क्षेत्र में किसी भी भवन या संरचना या भूमि का मालिक है या उसके पास है, और ऐसी भूमि पर किसी भी निर्माण या पुनर्निर्माण या

मरम्मत या नवीनीकरण करने की इच्छा रखता है, जो भी मामला हो, निर्माण या पुनर्निर्माण या मरम्मत या नवीनीकरण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण द्वारा अनुमति प्रदान करना

20 घ. भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति का अनुदान

विनियमित क्षेत्र।—(1) इस अधिनियम की धारा 20-सी के तहत अनुमति देने के लिए प्रत्येक आवेदन सक्षम प्राधिकारी को उस तरीके से किया जाएगा जो निर्धारित किया जाए।

(2) सक्षम प्राधिकारी, आवेदन प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर, संबंधित संरक्षित स्मारक या संरक्षित क्षेत्र से संबंधित विरासत उपनियमों को ध्यान में रखते हुए, इस तरह के निर्माण (बड़े पैमाने पर विकास परियोजना, सार्वजनिक परियोजना और जनता के लिए आवश्यक परियोजना के प्रभाव सहित) पर विचार करने और इसके अंतरंग प्रभाव के लिए प्राधिकरण को भेजेगाः

बशर्ते कि केंद्र सरकार उन आवेदनों की श्रेणी निर्धारित कर सकती है जिनके संबंध में इस उप-धारा के तहत अनुमति दी जा सकती है और वह आवेदन जिसे प्राधिकरण को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाएगा।(3) प्राधिकरण, उप-धारा (2) के तहत आवेदन प्राप्त होने की तारीख से दो महीने के भीतर, ऐसे निर्माण (बड़े पैमाने पर विकास परियोजना, सार्वजनिक परियोजना और जनता के लिए आवश्यक परियोजना के प्रभाव सहित) के सक्षम प्राधिकारी को सूचित करेगा।

(4) सक्षम प्राधिकारी, उप-धारा (3) के तहत प्राधिकरण से सूचना प्राप्त होने के एक महीने के भीतर, प्राधिकरण द्वारा अनुशंसित अनुमति या तो देगा या उसे अस्वीकार कर देगा।

जी.

(5) प्राधिकरण की सिफारिशें अंतिम होंगी।(6) यदि सक्षम प्राधिकारी इस धारा के तहत अनुमति देने से इनकार करता है, तो वह लिखित आदेश द्वारा क.

एच.

375

अर्धेन्दु कुमार दास बनाम ओडिशा और ओआरएस का राज्य। [बी. आर. गवई, जे.] ए.

संबंधित व्यक्ति को अवसर देते हुए, आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर आवेदक, केंद्र सरकार और प्राधिकरण को इस तरह के इनकार की सूचना दें।

(7) यदि सक्षम प्राधिकारी, उप-धारा (4) के अधीन अनुमति देने के बाद और उस उप-धारा में निर्दिष्ट मरम्मत या नवीकरण कार्य या भवन या निर्माण के पुनर्निर्माण के दौरान, (अपने कब्जे में या अन्यथा सामग्री के आधार पर) यह राय रखता है कि इस तरह के मरम्मत या नवीकरण कार्य या भवन या निर्माण के पुनर्निर्माण से स्मारक के संरक्षण, सुरक्षा या पहुंच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, तो वह इसे अपनी सिफारिशों के लिए प्राधिकरण को भेज सकता है और यदि इस तरह से सिफारिश की जाती है, तो उप-धारा (4) के तहत दी गई अनुमति को वापस ले सकता है यदि आवश्यक हो:

बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी, असाधारण मामलों में, प्राधिकरण के अनुमोदन से धारा 20-सी की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट आवेदक को तब तक अनुमति दे सकता है जब तक कि विरासत उपनियम धारा 20-ई की उप-धारा (1) के तहत तैयार नहीं किए जाते हैं और उस धारा की उप-धारा (7) के तहत प्रकाशित नहीं किए जाते हैं।

(8) केंद्र सरकार या महानिदेशक, जैसा भी मामला हो, इस अधिनियम के तहत दी गई या अस्वीकार की गई सभी अनुमतियों को अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेंगे।

33. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि उक्त अधिनियम की धारा 2 (डी. ए.) के तहत "प्राधिकरण" को उक्त अधिनियम की धारा 20 एफ के तहत गठित "राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण" के रूप में परिभाषित किया गया है।

34. उक्त अधिनियम की धारा 2 (डी. बी.) के अनुसार, "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ है एक अधिकारी जो पुरातत्व निदेशक या केंद्र या राज्य सरकार के पुरातत्व आयुक्त या समकक्ष पद से कम नहीं है, जिसे आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, उक्त अधिनियम के तहत कार्य करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में।

जी.

35. निर्विवाद रूप से, निदेशक, संस्कृति, पर्यटन और संस्कृति विभाग (संस्कृति), उड़ीसा सरकार, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2012 को जारी अधिसूचना के माध्यम से,

एच.

उक्त अधिनियम की धारा 20 सी और 20 डी के प्रयोजनों के लिए उड़ीसा राज्य के लिए "सक्षम प्राधिकारी" होना।

36. उक्त अधिनियम की धारा 2 का खंड (डी. सी.) सबसे महत्वपूर्ण होगा।"निर्माण" की परिभाषा में विशेष रूप से निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

(i) किसी मौजूदा संरचना या भवन का पुनर्निर्माण, मरम्मत और नवीनीकरण;

((ii) नालियों और जल निकासी कार्यों और सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों और इसी तरह की सुविधाओं का निर्माण, रखरखाव और सफाई;

((ग) जनता को पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए कार्यों का निर्माण और रखरखाव; और

((iv) जनता को बिजली की आपूर्ति और वितरण के लिए निर्माण या रखरखाव, विस्तार, प्रबंधन या जनता के लिए इसी तरह की सुविधाओं का प्रावधान।

37. इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का उक्त अधिनियम की धारा 20 ए की उप-धारा (4) पर भरोसा करना सही है, जो प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन और सत्यापन) विधेयक, 2010 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने की तारीख को और उसके बाद, उसकी उप-धारा (3) में निर्दिष्ट किसी भी निषिद्ध क्षेत्र में जनता के लिए आवश्यक किसी भी सार्वजनिक कार्य या परियोजना या अन्य निर्माण को करने के लिए किसी भी अनुमति को प्रतिबंधित करता है।इसे 2010 के अधिनियम संख्या 10 द्वारा क़ानून पुस्तिका में लाया गया था।

38. यह भी ध्यान देने योग्य है कि इसी संशोधन द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 20 सी को भी कानून की पुस्तक में लाया गया है।उक्त अधिनियम की धारा 20 सी की उप-धारा (1) में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति, जो किसी भी भवन या संरचना का मालिक है, जो 16 जून, 1992 से पहले किसी निषिद्ध क्षेत्र में मौजूद था, या जिसका बाद में महानिदेशक के अनुमोदन से निर्माण किया गया था और जो ऐसी इमारत या संरचना की कोई मरम्मत या

नवीनीकरण करना चाहता है, वह ऐसी मरम्मत या नवीनीकरण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है, जैसा भी मामला हो।इसी तरह, उक्त अधिनियम की धारा 20 सी की उप-धारा (2) एक ऐसे व्यक्ति को सक्षम बनाती है, जो किसी भी विनियमित क्षेत्र में किसी भी भवन या संरचना या भूमि का मालिक है या उसके पास है, और कोई भी निर्माण करना चाहता है।

जी.

एच.

377

अर्धेन्दु कुमार दास बनाम ओडिशा और ओआरएस का राज्य। [बी. आर. गवई, जे.] ए.

या ऐसी भूमि पर, यथास्थिति, ऐसे भवन या संरचना का पुनर्निर्माण या मरम्मत या नवीनीकरण, निर्माण या पुनर्निर्माण या मरम्मत या नवीनीकरण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करने के लिए।

39. उक्त अधिनियम की धारा 20 डी विनियमित क्षेत्र के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति देने से संबंधित है।उक्त अधिनियम की धारा 20 डी की उप-धारा (1) में प्रावधान है कि उक्त अधिनियम की धारा 20 सी के तहत अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन किया जाएगा।इसकी उप-धारा (2) में सक्षम प्राधिकारी से संबंधित संरक्षित स्मारक या संरक्षित क्षेत्र से संबंधित विरासत उपनियमों को ध्यान में रखते हुए ऐसे निर्माण के गहन प्रभाव पर विचार करने के लिए उसे प्राधिकरण को भेजने की अपेक्षा की गई है।उसकी उप-धारा (2) के परंतुक के तहत, केंद्र सरकार को उन आवेदनों की श्रेणी निर्धारित करने का अधिकार है जिनके संबंध में इस उप-धारा के तहत अनुमति दी जाएगी और ऐसे आवेदन जिन्हें प्राधिकरण को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाएगा।उसकी उप-धारा (3) के तहत, प्राधिकरण से अपेक्षा की जाती है कि वह उसकी उप-धारा (2) के तहत आवेदन प्राप्त होने की तारीख से दो महीने के भीतर सक्षम प्राधिकारी को ऐसे निर्माण आदि के प्रभाव के बारे में सूचित करे। इसकी उप-धारा (4) के तहत, सक्षम प्राधिकारी से इसकी उप-धारा (3) के तहत प्राधिकरण से सूचना प्राप्त होने के एक महीने के भीतर या तो अनुमति देने या उसे अस्वीकार करने की आवश्यकता होती है, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा इस तरह से अनुशंसित किया गया है।इसकी उप-धारा (5) के तहत प्राधिकरण की सिफारिशों को अंतिम रूप दिया जाता है।

40. यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि क़ानून के सभी प्रावधानों को सामंजस्यपूर्ण तरीके से पढ़ा जाना चाहिए।यह माना जाता है कि प्रत्येक प्रावधान को विधायिका द्वारा किसी न किसी उद्देश्य से कानून की पुस्तक में लाया गया है।एक विशेष प्रावधान को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है और इसे एक दूसरे के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए।कानून के सभी प्रावधानों को एक साथ मिलाने का प्रयास किया जाना चाहिए, जब तक कि यह असंभव न हो।

41. पहली बार में, उक्त अधिनियम की धारा 20 ए की उप-धारा (4) के आधार पर अपीलार्थीगण की दलीलें आकर्षक लग सकती हैं।लेकिन जब उक्त अधिनियम की धारा 20 ए की उप-धारा (4) को धारा 2 के खंड (डीसी) और उक्त अधिनियम की धारा 20 सी और 20 डी के प्रावधानों के अनुरूप पढ़ा जाता है, तो हम पाते हैं कि यह निवेदन कि निषिद्ध क्षेत्र या विनियमित क्षेत्र में कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकता है, टिकाऊ नहीं होगा।

42. सबसे पहले, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उक्त अधिनियम की धारा 2 का खंड (डी. सी.) स्वयं "निर्माण" की परिभाषा से ऊपर उल्लिखित चार श्रेणियों को बाहर करता है। विधायी आशय इस प्रकार स्पष्ट है कि जिन चार श्रेणियों को उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (डी. सी.) में परिभाषित "निर्माण" की परिभाषा से बाहर रखा गया है, उन्हें "निर्माण" के रूप में नहीं माना जाएगा, जहां भी उक्त शब्द को क़ानून में संदर्भित किया गया है।विधायी इरादा स्पष्ट है कि मौजूदा भवनों के पुनर्निर्माण, मरम्मत, नवीनीकरण को परिभाषा से बाहर रखा गया है।इसी तरह नालियों, जल निकासी कार्यों, सार्वजनिक शौचालयों और मूत्रालयों का निर्माण, रखरखाव आदि। जनता को पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए कार्यों का निर्माण और रखरखाव; और बिजली के वितरण के लिए निर्माण आदि, जिन्हें बड़े पैमाने पर जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक सेवाएं माना जा सकता है, को जानबूझकर "निर्माण" की परिभाषा से बाहर रखा गया है।यह माना जा सकता है कि विधायिका इस बात से अवगत थी कि मौजूदा संरचनाओं या भवनों की मरम्मत और पुनर्निर्माण या तीर्थयात्रियों/निवासियों के लिए सार्वजनिक शौचालय, मूत्रालय, पानी की आपूर्ति और बिजली वितरण जैसी आवश्यक सुविधाओं का निर्माण बुनियादी आवश्यकताएं हैं और इस तरह, निषिद्ध क्षेत्र में भी अनुमति दी जानी चाहिए।यदि इसकी इस तरह से व्याख्या नहीं की जाती है, तो उक्त अधिनियम की धारा 20 सी को निरर्थक और निरर्थक बना दिया

जाएगा।इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसी व्याख्या से बचना चाहिए जो किसी विशेष प्रावधान को निरर्थक या निरर्थक या अर्थहीन बनाती है।

43. यह आगे देखा जा सकता है कि उक्त स्थिति उच्च न्यायालय के समक्ष अधीक्षण पुरातत्वविद्, ए. एस. आई. द्वारा दायर हलफनामे में भी स्पष्ट की गई है, जो इस प्रकार हैः

“ई. जबकि शौचालय, नाली, बिजली के काम आदि "निर्माण" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं, और इसलिए इसे निषिद्ध क्षेत्र में भी किया जा सकता है।कुछ अन्य कार्य, जैसे कि स्वागत केंद्र, "निर्माण" की परिभाषा के साथ आते हैं, और निषिद्ध क्षेत्र में होने की अनुमति नहीं है।”44. उक्त अधिनियम की धारा 20 डी विनियमित क्षेत्र के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति देने से संबंधित पूरी प्रक्रिया से संबंधित है।निर्विवाद रूप से, वर्तमान मामले में, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20 डी के तहत आवश्यक प्रक्रिया का पालन किया है और प्राधिकरण, यानी एन. एम. ए. ने काम के लिए अपनी अनुमति दे दी है, जो किया जाता है।एन. एम. ए. द्वारा पारित 4 सितंबर 2021 के आदेश के प्रासंगिक भाग का उल्लेख करना उचित होगा, जो इस प्रकार हैः

जी.

एच.

379

अर्धेन्दु कुमार दास बनाम ओडिशा और ओआरएस का राज्य। [बी. आर. गवई, जे.] ए.

ए.

“2. मामले की जांच के बाद, यह कहा जाता है कि प्राधिकरण को ए. एम. ए. एस. आर., अधिनियम, 1958 के सख्त अनुपालन के आश्वासन के तहत "कोई आपत्ति नहीं" है।धारा 2 (डी), निषिद्ध क्षेत्र में निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन के लिए अर्थात् क्लोक रूम, मिनी क्लोक रूम, शेल्टर पवेलियन।महिला शौचालय, पुरुष शौचालय, सेवायत शौचालय, विद्युत कक्ष और फुटपाथ क्षेत्र, जिसमें शौचालय के लिए कतार में खड़े होने और गर्भगृह तक पहुंचने की जगह शामिल है, जो उपरोक्त खंड में दी गई "निर्माण" की परिभाषा के अपवाद खंड के तहत अनुमत हैं।निषिद्ध क्षेत्र में अन्य प्रस्तावित निर्माण कार्यों के संबंध में-अर्थात् स्वागत केंद्र, सूचना सह दान कियोस्क, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, पुलिस सेवा केंद्र और एटीएम। तथापि, यह अनुरोध किया जाता है कि जनता के लिए सुविधाओं के संबंध में विवरण जो उन्हें इन

संरचनाओं के माध्यम से निषिद्ध क्षेत्र में उनके स्थान को सही ठहराने के लिए प्रदान किए जाते हैं या विनियमित क्षेत्र में फिर से स्थित किए जा सकते हैं।इसके अलावा, प्रासंगिक विवरणों के साथ यह स्पष्ट रूप से साबित किया जा सकता है कि बड़ा छठ मठ और छौनी मठ में प्रस्तावित मरम्मत/नवीनीकरण का पैमाना जोड़/परिवर्तन या पुनर्निर्माण के समान नहीं है।"

45. जहाँ तक ए. एस. आई. की रिपोर्ट में आपत्तियों का संबंध है, ए. एस. आई. के महानिदेशक द्वारा दिनांक 21 फरवरी 2022 को हस्ताक्षरित नोट का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार हैः

"1. श्री जगन्नाथ मंदिर, पुरी

मैंने श्री क्षेत्र श्री जगन्नाथ मंदिर का दौरा किया, जो एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक और प्रस्तावित कार्य क्षेत्र है।राज्य सरकार की अवधारणा योजना का उद्देश्य सुविधाओं को प्रदान करना और मंदिर के पूरे परिवेश को सुंदर बनाना है।प्रस्तावित सुविधाएँ मंदिर के निषिद्ध क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं।चूंकि ये सुविधाएं भक्तों के लिए आवश्यक हैं, इसलिए इस बात पर सहमति बनी कि इसकी अनुमति दी जा सकती है।एएसआई डिजाइन पर राज्य सरकार के साथ समन्वय में काम करेगा ताकि मुख्य मंदिर पर कोई दृश्य प्रभाव न पड़े।राज्य सरकार से पूरे मंदिर परिसर की आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिलकर पूरे डिजाइन को सरल रखने का भी अनुरोध किया गया था।

जी.

चर्चा का एक बिंदु प्रस्तावित स्वागत केंद्र था जो मंदिर से 75 मीटर की दूरी पर है (हिस्सा निषिद्ध क्षेत्र के अंतर्गत आता है)।इस बुइ 1 डिंग का उपयोग करने का प्रस्ताव है

एच.

मुख्य परिसर में जाने से पहले भक्तों को पकड़ें।यह देखते हुए कि यह बहुत आवश्यक होगा, यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार इमारत को 100 मीटर से थोड़ा आगे ले जाने के विकल्पों पर विचार करेगी; यह मंदिर की सुरक्षा के हित में भी अच्छा होगा।"

46. इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि महानिदेशक ने देखा है कि मंदिर के निषिद्ध क्षेत्र के भीतर आने वाली सुविधाएं भक्तों के लिए आवश्यक हैं, और इसलिए, यह सहमति हुई कि इसकी अनुमति दी जा सकती है।यह भी देखा गया कि एएसआई डिजाइन पर राज्य सरकार के साथ समन्वय में काम करेगा ताकि मुख्य मंदिर पर कोई दृश्य प्रभाव न पड़े। राज्य सरकार से पूरे मंदिर परिसर की आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिलकर पूरे डिजाइन को सरल रखने का भी अनुरोध किया गया था।

47. विवादित आदेश में, यहां तक कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने भी विद्वान महाधिवक्ता का बयान इस आशय से दर्ज किया है कि एएसआई और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करेंगे।जहाँ तक स्वागत क्षेत्र का संबंध है, विवादित आदेश से यह भी पता चलेगा कि विद्वान महाधिवक्ता ने स्पष्ट किया है कि इसे अब प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर ले जाया जाएगा और इसका निर्माण विनियमित क्षेत्र में किया जाएगा।

48. एएसआई के महानिदेशक के नोट के निम्नलिखित उद्धरण को संदर्भित करना आगे प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार हैः

"विश्व/धरोहर के लिए पुरी और एकामराक्षेत्र दोनों की क्षमता पर भी चर्चा की गई।विशेष रूप से बफर ज़ोन के प्रबंधन और दोनों मंदिरों के उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य से संबंधित विश्व धरोहर दिशानिर्देशों का एक संक्षिप्त अवलोकन उनके साथ साझा किया गया।यह सहमति हुई कि दोनों स्थानों पर सभी कार्यों को विश्व धरोहर स्थल बनने की संभावना को ध्यान में रखते हुए आगे चलकर डिजाइन और निष्पादित किया जाएगा।कलिंगन वास्तुकला के सबसे पुराने मंदिरों में से एक वैताल देउल और परमगुरु मंदिर से सभी अतिक्रमणों को हटाने के लिए भी राज्य सरकार से अनुरोध किया गया था।अनंतबासुदेव मंदिर की रसोई को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने का मुद्दा।उपयुक्त स्थान पर भी चर्चा की गई।"

जी.

49. इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि ए. एस. आई. के महानिदेशक ने भी पुरी और एकरक्षेत्र की क्षमता को विश्व धरोहर स्थलों के रूप में स्वीकार किया है।यह सहमति हुई कि सभी काम ए

दोनों स्थानों को विश्व धरोहर स्थलों के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए विकसित करने की संभावना को ध्यान में रखते हुए डिजाइन और निष्पादित किया जाएगा।

50. अधीक्षण पुरातत्वविद्, ए. एस. आई. के शपथ पत्र से, जिसका हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं, यह भी पता चलता है कि निषिद्ध क्षेत्र में शौचालय, नालियों और विद्युत कार्यों जैसे कार्यों के निर्माण के संबंध में कोई गंभीर आपत्ति नहीं है।विनियमित क्षेत्र में निर्माण शुरू करने के संबंध में भी कोई गंभीर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।आग्रह यह है कि उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत एन. एम. ए. से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद निर्माण किया जाना चाहिए। एक अन्य चिंता यह प्रतीत होती है कि संपूर्ण मंदिर परिसर की आध्यात्मिक प्रकृति, डिजाइन और सौंदर्य के अनुरूप संपूर्ण डिजाइन या सुविधाएं सरल होनी चाहिए।

51. मामले के इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि जो निर्माण गतिविधियाँ की जा रही हैं, वे मृणालिनी पाधी (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में की जा रही हैं।यह निर्माण पुरुषों और महिलाओं के लिए शौचालय, क्लोक रूम, बिजली के कमरे आदि जैसी बुनियादी और आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। ये बुनियादी सुविधाएं हैं जो बड़े पैमाने पर भक्तों की सुविधा के लिए आवश्यक हैं।जैसा कि यहाँ पहले ही चर्चा की जा चुकी है, विधायी इरादा स्पष्ट प्रतीत होता है।विधायिका ने जानबूझकर "निर्माण" की परिभाषा से चार श्रेणियों को बाहर कर दिया है।इसके पीछे का उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि मौजूदा इमारतों की मरम्मत और नवीनीकरण और जल निकासी, शौचालय, पानी की आपूर्ति और बिजली के वितरण जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक निर्माण को वैधानिक अनुमति की आवश्यकता की कठोरता से बाहर रखा जाना चाहिए।

52. श्री नवारे द्वारा एक तर्क प्रस्तुत करने की मांग की गई कि उक्त प्रावधान केवल प्रतिबंधित क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को अपने मौजूदा ढांचे का पुनर्निर्माण, मरम्मत और नवीनीकरण करने में सक्षम बनाने के लिए है और उक्त प्रावधान जनता के लिए सुविधाएं बनाने के लिए राज्य की सहायता के लिए नहीं आ सकता है।इस तरह के तर्क पर केवल अस्वीकार करने के

लिए ध्यान दिया जाता है।यदि कोई व्यक्ति निषिद्ध क्षेत्र में शौचालय का निर्माण कर सकता है, तो क्या राज्य को ऐसा करने से मना किया जा सकता है, जब राज्य को मंदिर में आने वाले लाखों भक्तों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए व्यापक जनहित में ऐसा करना आवश्यक लगता है?इसका जवाब एक जोरदार 'नहीं' है।

जी.

एच.

53. एक शोर मचाया गया कि किया गया निर्माण ए. एस. आई. द्वारा की गई निरीक्षण रिपोर्ट के विपरीत है। हालाँकि, 21 फरवरी, 2022 के ए. एस. आई. के महानिदेशक के नोट के साथ-साथ ए. एस. आई. द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष दायर हलफनामा इस स्थिति को गलत साबित करेगा।

54. यह ध्यान देने योग्य होगा कि उच्च न्यायालय ने स्वयं ओडिशा राज्य के विद्वान महाधिवक्ता का बयान दर्ज किया है कि एएसआई और राज्य सरकार दोनों यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे कि कोई भी पुरातात्विक अवशेष छूट न जाए या क्षतिग्रस्त न हो।

55. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि भले ही अपीलार्थीगण को कोई वास्तविक चिंता हो, लेकिन विवादित क्रम में पहले से ही इसका ध्यान रखा गया है।56. इसके बावजूद, सोमवार, यानी 30 मई, 2022 को अवकाश पीठ के समक्ष तत्काल आदेश प्राप्त करने के लिए मामले का उल्लेख किया गया था।चूंकि यह मामला मंगलवार, यानी 31 मई, 2022 को सूचीबद्ध नहीं किया गया था, इसलिए उक्त तिथि पर इसका फिर से उल्लेख किया गया था।एक बार फिर, एक शोर मचाया गया जैसे कि याचिकाओं को सूचीबद्ध नहीं किया गया तो आकाश गिरने वाला है।इस प्रकार, याचिकाओं को गुरुवार, यानी 2 जून, 2022 को सूचीबद्ध किया गया था।हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है।

57. हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि राज्य द्वारा की गई गतिविधियाँ मृणालिनी पाधी (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप हैं।वे व्यापक लोक हित में आवश्यक हैं और ऐसा करने के लिए क़ानून में कोई

निषेध नहीं है, जैसा कि अपीलार्थीगण द्वारा तर्क दिया जाना चाहिए।58. इसलिए, हम अपीलार्थीगण की ओर से उठाई गई दलीलों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय के समक्ष दायर जनहित याचिका जनहित में होने के बजाय बड़े पैमाने पर जनहित के लिए हानिकारक है।

59. हाल के दिनों में, यह देखा गया है कि जनहित याचिकाओं में वृद्धि हुई है।हालांकि, ऐसी कई याचिकाओं में कोई जनहित शामिल नहीं है।याचिकाएं या तो प्रचार हित मुकदमे या व्यक्तिगत हित मुकदमे हैं।हम इस तरह की तुच्छ याचिकाएं दायर करने की प्रथा की अत्यधिक निंदा करते हैं।वे कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं हैं।वे एक मूल्यवान न्यायिक समय का अतिक्रमण करते हैं जिसका उपयोग अन्यथा वास्तविक मुद्दों पर विचार करने के लिए किया जा सकता है।यह सही समय है कि इस तरह की तथाकथित जनहित याचिकाओं को जल्द ही समाप्त कर दिया जाए ताकि व्यापक जनहित में विकासात्मक गतिविधियों को रोका न जा सके।

जी.

एच.

383

अर्धेन्दु कुमार दास बनाम ओडिशा और ओआरएस का राज्य। [बी. आर. गवई, जे.]

ए.

60. परिणामस्वरूप, अपीलों को बिना किसी आधार के पाए जाने पर, इस निर्णय की तारीख से चार सप्ताह के भीतर प्रत्यर्थी संख्या 1 को अपीलार्थीगण द्वारा देय लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है, जिसकी मात्रा प्रत्येक रुपये (एक लाख रुपये) निर्धारित की जाती है।

61. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, उपरोक्त शर्तों में निपटाए जाएंगे।

देविका गुजराल

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

(सहायकः दीपक पंवार, एलसीआरए)

जी.

एच.